

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 102/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
1- जगराम पुत्र स्व० कानाराम 2- देराजराम पुत्र स्व० जगराम 3- श्रीमती रूखियो पत्नी स्व० लिखमाराम समस्त जातियान जाट निवासी गांव चवा, तहसील व जिला बाडमेर		1-श्रीमती सिणगारी पत्नी हीराराम पुत्री स्व० कानाराम जाति जाट निवासी सवाऊ पदमसिंह तहसील बायतु जिला बाडमेर 2- श्रीमती भूरीदेवी पत्नी केहराराम पुत्री स्व० कानाराम जाति जाट निवासी गांव सांजटा तहसील व जिला बाडमेर 3- ग्राम पंचायत चवा जरिये सरपंच, तहसील व जिला बाडमेर 4- उदाराम पुत्र स्व० कानाराम 5- धर्मराम पुत्र मोटाराम 6- लाभुराम पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी गांव चवा तहसील व जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय दिनांक 30-5-2016 जो उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व अपील संख्या 12/2010 अनवान श्रीमती सिणगारी वगैरा बनाम ग्राम पंचायत चवा वगैरा में पारित किया गया ।

उपस्थिति:-

- 1- श्री एम.एल.खत्री अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
- 2- श्री के.सी.चौधरी, अधिवक्ता रेस्पों 1 व 4 की ओर से ।
- 3- रेस्पों संख्या 2, 3, 5 व 6 बावजूद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 26-10-2020

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पूनियो की बस्ती पटवार हल्का चवा तहसील बाडमेर के खसरा 690 की 15 बीघा 12 बिस्वा भूमि काना पुत्र बन्ना कौम जाट जाणी सा० देह के खातेदारी की थी..। उक्त खातेदार कानाराम के फोट होने पर उसके खातेदारी की उक्त भूमि के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत चवा द्वारा स्वीकृत फोतेदगी नामांतरकरण संख्या 35 दिनांक 4-8-1986 के विरुद्ध वर्तमान अपील की रेस्पों संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रथम अपील पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा अपील संख्या 12/2010 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 30-5-2016 से व्यथित होकर अपीलांटगण द्वारा वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-5-2016 विधि के विपरीत, मनमाना एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है ।



26/10/2020
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 35 जो विधिसम्मत तरीके से सरपंच ग्राम पंचायत चवा द्वारा दिनांक 4-8-1986 को स्वीकृत किया था तथा उक्त म्युटेशन के विरुद्ध वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगभग 23-24 वर्ष विलंब से प्रथम अपील पेश की थी तथा अपील के साथ मयाद को कंडोन करने के लिए जो धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश किया था, उसमें कोई ठोस एवं संतोषजनक कारण का उल्लेख नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष अत्यधिक देरीना प्रस्तुत अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए स्वीकार करने में विधिक भूल की है। वकील अपीलांट ने मयाद के बिन्दु पर अपनी बहस में यह भी कथन किया कि विधि का यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि म्युटेशन के विरुद्ध 30 दिवस के भीतर ही अपील पेश की जा सकती है इसके पश्चात विलंब से अपील पेश होने पर विलंब का डे-टू-डे स्पष्ट कारण धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में उल्लेख करना आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील में धारा 5 मयाद अधिनियम में विलंब से अपील प्रस्तुत करने का ऐसा कोई डे-टू-डे का कारण दर्शाया नहीं होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 श्रीमती सिणगारी एवं श्रीमती भूरीदेवी मृतक खातेदार कानाराम की पुत्रियां हैं अथवा नहीं। अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी जांच नहीं करवाई और न ही अधीनस्थ न्यायालय में इनके द्वारा ऐसा कोई प्रमाण ही अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिससे यह साबित हो कि वे मृतक खातेदार कानाराम की पुत्रियां हैं तथा उनका उक्त अपीलाधीन खातेदारी में अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के कथन को सही मानते हुए लगभग 23-24 वर्ष स्वीकृत हुए नामांतरकरण को निरस्त करने में विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण के नोटिस प्रोपर तामिल नहीं करवाये गये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपना हिस्सा होने का क्लेम किया है जबकि वर्तमान प्रकरण में अपीलाधीन भूमि स्व0 कानारामजी के संयुक्त परिवार की थी तथा संयुक्त परिवार में वे स्वयं, उनकी धर्मपत्नी, पुत्र व पुत्रियां सदस्य व सर्वाइवर थे तथा जैसे ही पुत्रियां रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का विवाह हो गया, तो वे स्व0 कानाराम के संयुक्त परिवार के सदस्य नहीं रही और अपने पति के संयुक्त परिवार की



वकील
श्रीमती सिणगारी
कोशपुर

सदस्य हो गई इसलिए रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का उक्त भूमि में कोई अधिकार सृजित नहीं होते हैं फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी तथ्य पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के जरिये अधिकार सृजित नहीं हो सकते हैं बल्कि अधिकारों का निर्धारण तो नियमित वाद की कार्यवाही के जरिये ही हो सकता है इसलिए यदि 23-24 वर्ष पश्चात यदि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अपने आप को मृतक खातेदार कानाराम की पुत्रियां होने तथा उसके अनुसार अपीलाधीन भूमि में अपना अधिकार होना मानती है तो उन्हें पहले नियमित वाद पेश कर जिसमें साक्ष्य, सबूत आदि के जरिये अपने अधिकारों का निर्धारण करवाना होगा । परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत नहीं होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत में वकील अपीलांट ने उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30-5-2016 को निरस्त कर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 548 दिनांक 4-8-86 को बहाल रखने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30-5-2016 को विधिसम्मत बताते हुए अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 मृतक खातेदार कानाराम की पुत्रियां हैं तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान होते हुए उन्हें उनके पिता के खातेदारी अधिकारों से वंचित करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन केवल मृतक खातेदार के पुत्रों के नाम स्वीकृत कर दिया, उक्त विधिविरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण म्युटेशन की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष म्युटेशन संख्या 35 दिनांक 4-8-1986 के विरुद्ध प्रथम अपील पेश की तथा अपील पेश करने में हुए विलंब को क्षमा करने बाबत अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपीलाधीन भूमि में पुत्र के समान ही पुत्रियों का अधिकार मानते हुए अपीलाधीन म्युटेशन को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए उक्त म्युटेशन को खारीज कर प्रकरण तहसीलदार बाडमेर को स्व0 कानाराम के विधिक वारिसान की जांच, जांच उपरांत नियमानुसार म्युटेशन पारित करने का जो आदेश पारित किया है, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30-5-2016, तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 35 का भी अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 35 में वर्णित खातेदारी भूमि के सहखातेदार कानाराम के फोट होने पर उसके खातेदारी बाबत फोतेदगी म्युटेशन संख्या 35 मृतक के वारिसान में केवल पुत्रों के नाम ही दर्ज करते हुए पटवारी हल्का ने पेश किया, जिसे सरपंच ग्राम पंचायत चवा ने भी बिना विधिक वारिसान



24/11
बति. सर. अ. गाय. अ.
बाडमेर


की जांच करवाये उक्त म्युटेशन को प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 4-8-86 के द्वारा स्वीकृत कर दिया जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार पुत्र एवं पुत्रियों का उसके पिता के खातेदारी की भूमि में समान अधिकार थे । ऐसे में अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 35 पर ग्राम पंचायत चवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 4-8-1986 विधिविरुद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त म्युटेशन के विरुद्ध मृतक खातेदार कानाराम की पुत्रियों (वर्तमान रेसपो संख्या 1 व 2) द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने अंदर मयाद स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 35 को खारीज कर प्रकरण तहसीलदार बाडमेर को स्व० कानाराम के विधिक वारिसान की जांच, जांच उपरांत नियमानुसार म्युटेशन पारित करने का जो आदेश पारित किया है, जो समर्थन योग्य है ।

वर्तमान प्रस्तुत द्वितीय अपील में अपीलांत का यह कथन कि अपीलाधीन भूमि मृतक खातेदार कानाराम के संयुक्त परिवार की सम्पत्ति थी इसलिए पुत्रियों का विवाह के बाद उसके पिता की खातेदारी में कोई अधिकार हासिल नहीं होंगे परंतु अपीलांत ने अधीनस्थ न्यायालय अथवा इस न्यायालय हाजा में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह प्रकट होता हो कि अपीलाधीन भूमि संयुक्त परिवार की है । ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दु उत्तराधिकार विधि के प्रावधानों के मध्यनजर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत है ।

जहां तक अधीनस्थ न्यायालय में लगभग 23-24 वर्ष विलंब से अपील पेश करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे अंदर मयाद सुमार करने का प्रश्न है तो इस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जो आदेश प्रारंभ से ही शून्य या त्रुटिपूर्ण हो, तो ऐसे एब-एनिश्यो-वॉईड आदेशों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है । ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के गुणावगुण को देखते हुए अपील को अंदर मयाद स्वीकार करने का जो आदेश पारित किया है, उसमें भी किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है ।

परिणामस्वरूप अपीलांतगण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान द्वितीय अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30-5-2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 26/10/20 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।


(अरुण पुरोहित)

अतिरिक्त, सम्भाषी आचार्युक्त
जोधपुर

